आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय) न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 748 तथा 749 /इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2013-14 तथा 2014-15

श्री संजय कुमार जायसवाल, बदनावर, धार	बनाम	आयकर अधिकारी धार
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- बीईएमपीके 2757 पी		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आर.एस.अंबेडकर विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	01.07.2020
उद्घघोषणा तिथि :	01.07.2020

आदेश

निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के अलग-अलग आदेशों दोनों दिनांक 22.05.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के दौरान मैंने पाया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किए थे । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी ।

3. मैंने मेरे समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने गुणागुण पर सकारण आदेश पारित नहीं किये थे जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझता हूँ । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं । निर्धारिती को भी इस संबंध में स्वप्रेरणा से (suo motu) विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

आदेश 01.07.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 01.07.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल